अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एंव पेशनर्स वेलफेयर विभाग
राजस्थान, जयपुर

कमांकः–प.5 (291) निपेवि/नियम/2017/ 389-440 H **दिनांकः** 27.03.2017

(1) कोषाधिकारी (समस्त)
....................................राजस्थान
(2) महालेखाकार (लेखा एंव हक)
राज.जयपुर

विषयः–01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत/मृत भारतीय सेवा के अधिकारियों (राजस्थान केडर) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन कमांक एफ.न.38/37/2016 P&PW (A) (II) दिनांक 04.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ए–1) विभाग के पत्रांक एफ. 1 (21) /PERS/A-1/Accts/2014 दिनांक 21.03.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा से दिये गये निर्देशों के कम में कृपया **01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत/मृत भारतीय सेवा के अधिकारियों (राजस्थान केडर)** की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रांक दिनांक 04.08.2016 के बिन्दुसंख्या 4.1 (प्रति संलग्न) के अनुसार करने का श्रम करावे तथा संशोधित पेंशन एंव पारिवारिक पेंशन का अंकन पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग में करके अपने हस्ताक्षरो से प्रमाणित करना सुनिश्चित करावे एवं संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेशन के गणना पत्र की प्रति संबधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भी दी जावे।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (ए–1) विभाग जयपुर को उनके पत्र कमांक एफ. 1 (21) /PERS/A-1/Accts/2014 दिनांक 21.03.2017 के कम में ।
2. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग अजमेर,बीकानेर, भरतुपर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
3. संयुक्त निदेशक पीआर I अनुभाग पेंशन निदेशालय जयपुर।
4. प्रेसिडेंट आल इंडिया सर्विसेज (राज.) पेंशनर्स ऐसोसिशेन ओ.टी.एस जयपुर।
5. निदेशक कोष एवं लेखा राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों को उक्त आदेशों के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उनके अधीनस्थ समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो पेंशन का भुगतान करते है को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करावे।
6. उपनिदेशक (ACP) कार्यालय हाजा पेंशन विभाग जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने हेतु ।

निदेशक

C:\Users\india\Desktop\Rules Letter.docx-3